

फा. सं. जे-12017/1/2019-न्यायिक
 भारत सरकार
 कानून और न्याय मंत्रालय
 विधि कार्य विभाग
 (न्यायिक अनुभाग)

शास्त्री भवन, नयी दिल्ली
 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत संघ की ओर से अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, विधि कार्य विभाग को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:

(i) उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में जहां भारत संघ एक पक्षकार है भारत संघ की ओर से पेश होने के लिए काउंसल की नियुक्ति।

(ii) केंद्र सरकार की ओर से और केंद्रीय एजेंसी योजना में भाग लेने वाली राज्यों की सरकारों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन।

2. उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए विधि कार्य विभाग उपयुक्त अधिवक्ताओं को विधि अधिकारियों {अर्थात् भारत के महान्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) }, भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल (सहायक एसजीआई) और देश भर के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए पैनल काउंसल की विभिन्न श्रेणियों के रूप में सूचीबद्ध करता रहा है। ये पैनल एक विशेष कार्यकाल के लिए बनाये जाते हैं जिसके बाद या तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है या नये पैनल बनाए जाते हैं। इसके अलावा, विशेष/तकनीकी कार्य करने वाले कुछ मंत्रालयों/विभागों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार काउंसल के पैनल का चयन करने के लिए अधिकृत किया गया है और उक्त पैनल को इस विभाग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। इसके अलावा, कुछ विशिष्ट/संवेदनशील/उच्च स्तर वाले मामलों में, विशेष काउंसल की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिन पर विधि कार्य विभाग द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है। किसी भी न्यायालय / अधिकरण के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमों के संचालन के लिए अधिवक्ताओं की सभी नियुक्तियाँ/पेशगियाँ इस विभाग के अनुमोदन के बिना या स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है तो वे भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

3. इससे पहले इस विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हाल ही में कार्यालय ज्ञाप संख्या 34(01)/2012-न्यायिक. दिनांक 05.12.2012 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 29(2)/2002- न्यायिक (भाग) दिनांक 16.01.2015 को जारी कर दिया गया है।

4. इसके अलावा, इस विभाग के संज्ञान में आया है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग भारत सरकार और उनके अधीनस्थ कार्यालय (विशेषकर जिला स्तर पर) इस प्रक्रिया से हट रहे हैं। इसलिए, सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों का एक विस्तृत कार्यालय ज्ञापन पुनरावृत्ति अनुपालन/मार्गदर्शन फिर से जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(क) दिल्ली में विभिन्न न्यायालय / अधिकरण :

दिल्ली में, इस विभाग के संलग्न कार्यालय हैं अर्थात् इस विभाग के केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, मुकदमा (उच्च न्यायालय/कैट) अनुभाग, मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग जो दिल्ली में स्थित विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए इस संबंध में जब कभी भी नोटिस/अनुरोध उनसे प्राप्त होते हैं इस विभाग के पैनल से उपयुक्त पैनल काउंसल को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह, प्रभारी केंद्रीय अभिकरण अनुभाग और प्रभारी मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग क्रमशः भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमों संचालन के लिए विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस संबंध में विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक सं.	अधीनस्थ कार्यालय का नाम	न्यायालय/अधिकरण जिसके समक्ष नियुक्तियां की जाती हैं
1.	प्रभारी, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
2.	प्रभारी, मुकदमा (उच्च न्यायालय/सीएटी) अनुभाग	दिल्ली उच्च न्यायालय, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रधान पीठ), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ) और कैट (प्रधान पीठ), नयी दिल्ली और दिल्ली में स्थित अन्य अधिकरण / आयोग।
3.	प्रभारी, मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग	दिल्ली में जिला न्यायालय, द्वारका, रोहिणी, पटियाला हाउस, तीस हजारी, कड़कड़ूमा और साकेत और अन्य अधीनस्थ न्यायालय।

(ख) मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में विभिन्न न्यायालय / अधिकरण:

मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में इस विभाग के चार शाखा सचिवालय अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायालय / अधिकरण (उच्च न्यायालय, सीएटी पीठ, एएफटी पीठ, एनजीटी पीठ और जिला और अधीनस्थ न्यायालय सहित) के लिए इस विभाग के पैनल से काउंसल नियुक्त करते हैं।

ग) देश में विभिन्न उच्च न्यायालय/सीएटी/एफटी/एनजीटी :

उपरोक्त पैरा (क) से (ख) के तहत उल्लिखित स्टेशनों को छोड़कर, संबंधित न्यायालय/अधिकरण के लिए पैनल से काउंसल की नियुक्ति उस न्यायालय/अधिकरण के संबंधित प्रभारी मुकदमा द्वारा की जाती है। इस संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक सं.	न्यायालय / अधिकरण	प्रभारी मुकदमा (पदनाम द्वारा)
1.	उच्च न्यायालय	भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) या भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल (सहायक एसजीआई) (यदि उपलब्ध हो तो एएसजीआई मान्य होगा)
2.	कैट, एफटी, एनजीटी पीठें (दिल्ली के बाहर)	संबंधित वरिष्ठ केंद्र सरकार के स्थायी काउंसल (सीनियर सीजीएससी)

घ) . दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलुरु को छोड़कर देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालय:

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलुरु को छोड़कर देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, संबंधित स्थायी सरकारी काउंसल (एसजीसी) प्रभारी मुकदमा है, जिसे संबंधित जिला और अधीनस्थ न्यायालय, यानी अतिरिक्त स्थायी सरकारी काउंसल (एसजीसी सहित) के लिए अन्य पैनल काउंसल के बीच मामलों के आवंटन का कार्य सौंपा गया है।

5. केंद्र सरकार के सभी विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों को उस न्यायालय / अधिकरण के लिए अपने मामलों में भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस पैनल से काउंसल की नियुक्ति/काउंसल के परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) के लिए उपर्युक्त पैरा 4 (क) से (ग) में दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित न्यायालय/अधिकरण के मुकदमा प्रभारी से सीधे संपर्क करना आवश्यक है। संबंधित एएसजीआई / सहायक एसजीआई / सीनियर सीजीएससी / एसजीसी / मुकदमा अनुभागों के प्रभारी और शाखा सचिवालय का संपर्क विवरण इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार के विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल काउंसल अभी भी इस मंत्रालय के पैनल में हैं। यदि पैनल के काउंसल का प्रतिनिधित्व करने का कार्यकाल मामले के निपटान से पहले समाप्त हो जाता है, तो संबंधित मुकदमे के प्रभारी को पैनल से किसी अन्य काउंसल की नियुक्ति के लिए संपर्क किया जा सकता है। सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि वे इस विभाग के अनुमोदन के बिना ऐसे काउंसल की नियुक्ति न करें जो इस मंत्रालय/विभाग के पैनल में नहीं हैं।

6. उपर्युक्त के अलावा, इस संदर्भ में, वित्तीय शक्ति प्रत्योजन नियम (डीएफपीआर), 1978 की अनुसूची V के अनुलग्नक की मद संख्या 9 (i) का भी संदर्भ लिया जाता है जो स्पष्ट रूप से लेखे पर व्यय के सिद्धांत को स्थापित करता है जिसे कानूनी शुल्क जो कि सभी प्रकार के बैरिस्टर, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों, प्लीडर और अंपायरों को जो देश में किसी भी न्यायालय (अधिकरण सहित) के समक्ष भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल इस मंत्रालय की पूर्व सहमति से भुगतान करने की आवश्यकता है और इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त विधि अधिकारियों/पैनल काउंसलों को इस उद्देश्य के लिए इस विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसूची के अनुसार कानूनी शुल्क का भुगतान किया जाना है।

7. उपर्युक्त के आलोक में, देश के किसी भी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए काउंसल की नियुक्ति, जो विधि और न्याय मंत्रालय के पैनल में नहीं हैं और/या जिनकी नियुक्ति को विधि और न्याय मंत्रालय, की मंजूरी नहीं दी गई है (i) भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 और (ii) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का उल्लंघन है।

8. इस विभाग के उपर्युक्त उल्लिखित सभी कार्यालय ज्ञापन, संबंधित मुकदमा प्रभारियों का विवरण और पैनल काउंसल का विवरण (पैनल बनाने के आदेश के रूप में) इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.legalaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

9 . यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों को कड़ाई से अनुपालन हेतु सूचनार्थ है।

10. इस विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में शाखा सचिवालय, नयी दिल्ली में सभी मुकदमा अनुभागों और देश के विभिन्न न्यायालयों / अधिकरणों के समक्ष सभी मुकदमा प्रभारियों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस परिपत्र में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन के मामले में इस विभाग को तुरंत सूचित करें।

11. इसे माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(एस.आर. मिश्रा)
अपर सचिव

निम्नलिखित को प्रेषित,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों (संलग्न सूची के अनुसार) को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु का अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु का अपनी सभी लेखापरीक्षा इकाइयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
3. महालेखा नियंत्रक को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु का देश भर में अपने सभी पीएओ/जेडएओ/सीडीडीओ के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
4. देश के सभी उच्च न्यायालयों /सीएटी/एएफटी/एनजीटी और उनकी न्यायपीठों के रजिस्ट्रार को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु का अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिला न्यायाधीशों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
5. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रभारी, शाखा सचिवालय।
6. प्रभारी, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, भारत का उच्चतम न्यायालय।
7. नयी दिल्ली स्थित प्रभारी, मुकदमा (उच्च न्यायालय/सीएटी/निम्न न्यायालय) अनुभाग।
8. पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद, पटना और राजस्थान के उच्च न्यायालय के लिए भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल।
9. देश भर में विभिन्न कैट पीठ, एएफटी पीठ, एनजीटी पीठ के लिए सभी वरिष्ठ केंद्र सरकारी स्थायी काउंसल।
10. देश में विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सभी स्थायी सरकारी काउंसल।

निम्नलिखित को प्रतिलिपि:

1. माननीय विधि और न्याय मंत्री के निजी सचिव/विधि सचिव के निजी सचिव/विधायी सचिव के निजी सचिव/सभी अपर सचिवों के निजी सचिव/ विधि कार्य विभाग के सभी संयुक्त सचिवों के निजी सचिव।
2. विधि कार्य विभाग के अपर विधि सलाहकार (न्यायिक) के निजी सचिव।
3. विधि कार्य विभाग के सहायक विधि सलाहकार (न्यायिक)।
4. विधि कार्य विभाग की वेबसाइट www.legalaffairs.gov.in पर टैब 'न्यायिक अनुभाग' के तहत 'मुकदमे से संबंधित परिपत्र' लिंक में अपलोड किया जाना है।
5. कार्यालय/अतिरिक्त प्रतियां।

(डी. श्रीनिवास)
अनुभाग अधिकारी (न्यायिक)
दूरभाष. 011-23384945
ईमेल: judicial-dla@nic.in